न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 1264/2024
सरकार बनाम संदीप आदि।
अंतर्गत धारा– 109, 115(2), 352 भा०न्या०सं०
व 3(2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
मु०अ०सं०– 40/2025
थाना– बाबूगढ़, जिला– हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 28.08.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्तगण **संदीप उर्फ राम सिंह, अजय उर्फ लेफ्टी व आशुतोष उर्फ आशू** जेरे हिरासत उपस्थित।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण **संदीप उर्फ राम सिंह, अजय उर्फ लेफ्टी व आशुतोष उर्फ आशू** के विरुद्ध भा०न्या०सं० की धारा 109, 115(2), 352 एवं एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(v) के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 11.09.2025 को पेश हो।

दिनांकः– 28.08.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2025.09.03 10:55:18 IST
Reason:
Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 1264/2024
सरकार बनाम संदीप आदि।
अंतर्गत धारा– 109, 115(2), 352 भा०न्या०सं०
व 3(2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
मु०अ०सं०– 40/2025
थाना– बाबूगढ़, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण **संदीप उर्फ राम सिंह, अजय उर्फ लेफ्टी व आशुतोष उर्फ आशू** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 18.02.2025 को समय करीब 06.00 बजे शाम, बस्थान कुचेसर चौपला रेलवे फाटक के पास, शकरपुर रोड, थाना बाबूगढ़, जिला हापुड़ में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के पुत्र को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर ईंटों से वार किए। उक्त कृत्य से यदि वादी मुकदमा के पुत्र की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 109 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के पुत्र के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 115(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के पुत्र को अपमानित करने के आशय से उसके साथ गाली गलौज की गयी। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 352 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के पुत्र, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जान से मारने का प्रयत्न किया, उसके साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की, उसे अपमानित करने के आशय से गाली गलौज की तथा अवमानित करने के आशय से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(v) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 28.08.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 28.08.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,हापुड़।